मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3– 75/2015/18–5 भोपाल दिनांक 12/4/2016

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला–रतलाम
2. उप संचालक,
   नगर तथा ग्राम निवेश
   जिला कार्यालय रतलाम।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत रतलाम
4. आयुक्त
   नगर निगम रतलाम

1932 TC 13/04/16

विषय :–रतलाम विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत्।

राज्य शासन ने रतलाम विकास योजना 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

पृ0क्र0–एफ 3–75/2015/18–5 भोपाल दिनांक 12/4/2016

प्रतिलिपि :–

संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

Add. Dr. (N) 585 20/4/16
शाखा T.C.
अधीक्षक आयुक्त

23.4.16
D'man (S) कृ. website पर प्रकाशन करावें

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 12-4-/2016

क्रमांक–एफ–3–75/2015/18–5 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट रतलाम विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ग्राम–बंजली	314/1	6.000 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय शर्तेः– 1.रतलाम विकास योजना 2021 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत हवाई पट्टी के 1.8 किलोमीटर परिधि में विकास / निर्माण के पूर्व नागरिक उडड्यन विभाग की अनुमति/ अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

					2.भूमि का आवंटन आवासीय प्रयोजन हेतु किया गया है । अतः भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है, उसमें भिन्न उपयोग प्रतिबंधित रहेगा ।
		योग–	6.000 हे0		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी के साधव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

6/5/2018

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Environment Department
MANTRALAYA

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 12/4 /2016

No.F-3-75/2015/18-5 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Ratlam Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No.	**Village**	**Khasara No.**	**Area (In Hec.)**	**Land use specified in the development plan**	**Modified land use after modifications**
1	2	3	4	5	6
1.	Gram-banjali	314/1	6.000 Hec.	Agriculture	Residential Conditions :- 1. As per the provisions of Ratlam Development Plan 2021 it will be mandatory to obtain clearance/NOC from Civil Aviation Department before commencing development/construction within the periphery of 1.8 km from air strip. 2. The use of the land other than the purpose for which it has been alloted shall be prohibited.
		Total	6.000 Hec.		

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Deputy Director, Town and Country Planning, Ratlam as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Environment Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor Of Madhya Pradesh,

(C.K.Sadhaw)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Developement And
Environment Department